भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1631
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

पेट्रोल पंपों का पुन: आवंटन

†1631. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल पंपों के पुन: आवंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और देश में राज्य-वार ऐसे पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि खुदरा आउटलेट डीलरशिप के पुनः आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) तथा डीलर और ओएमसी के बीच निष्पादित डीलरशिप समझौते के उल्लंघन के कारण समाप्त किए गए खुदरा आउटलेट (आरओज) को उक्त क्षेत्र के लिए नए विज्ञापन आने तक नीति के अनुसार अन्य खुदरा आउटलेट डीलर के माध्यम से तदर्थ आधार पर संचालित किया जाता है।

खुदरा आउटलेट द्वारा अपनी बिक्री क्षमता से कम प्रदर्शन करने की स्थिति में, मार्गदर्शन/परामर्श के बाद, डीलर को "अवकाश योजना" के अनुसार 2 वर्ष के लिए अवकाश पर जाने का विकल्प दिया जाता है।

***